



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 03.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/24 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2024 को थाना बिनौली पर वादी श्री मोहन कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-उमेश पुत्र ऋषिपाल व 2-ऋषिपाल निवासीगण ग्राम



गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा उसकी बहन के साथ मारपीट की गयी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 151/24 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 151/24 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-उमेश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-ऋषिपाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 1002 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 446 हरेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.06.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 180/23 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2023 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री पवन पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-राजीव पुत्र निरंजन निवासी पट्टी धनकौंसिया कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने 2-सुरेन्द्र सिंह हल्का



लेखपाल ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर व 3-अशोक तोमर राजस्व निरीक्षक अमीनगर सराय के साथ षडयंत्र कर धोखाधड़ी से फर्जी व कूटरचित दस्तावेद तैयार करवाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में अपना नाम दर्ज करावा लिया । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 180/23 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 180/23 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजू उर्फ राजीव पुत्र स्व: निरंजन निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 995 अभय प्रताप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 408 सुमित सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 03.06.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 3000 रुपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.24 को थाना छपरौली पर वादी बिलेन्द्र पुत्र रणवीरा निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली ने तहरीर दी कि अभियुक्त तरुण पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी के घर से 30 किलो गेहूँ, मोबाइल फोन व 3000 रुपये चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 129/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 129/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुये 3000 रुपये बरामद हुये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तरुण पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 3000 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शारिक अली खान थाना छपरौली ।
- 2- है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 03.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 मोबाइल, एक डायरी, 01 पैस व 740 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ खेलते समय 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोबाइल, एक डायरी, एक पैस व 740 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 152/2024 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रमोद पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम सोरों थाना शाहपुर जनपद मजफ्फरनगर ।
- 2-अशोक पुत्र जंगली सिंह निवासी ग्राम सोरों थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल ।
- एक डायरी ।
- एक पैस ।
- 740 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0यूटी श्री आलोक तोमर थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक- 03.06.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मांगेराम पुत्र भोंदा निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट ।
- 2-है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट ।
- 3-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट ।
- 4-का0 1077 संतोष कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 03.06.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चिन्टू उर्फ विनेश पुत्र महेश निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना खेकडा ।
- 2-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा ।